सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 19, बुधवार, *शाके* 1947- अप्रेल 09, 2025 *Chaitra 19, Wednesday, Saka 1947- April 09, 2025*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.). अजमेर

अधिसूचना

अजमेर, अप्रैल 04, 2025

प्रे. 23: भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017 दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्श्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खडा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गतअधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी द्वारा **कार्यालय आदेश संख्या 855 दिनांक 17.10.2022 के अंतर्गत** बिजली की आपूर्ति हेतु **220 के वी सब स्टेशन रायपुर के उन्नतिकरण हेतु 132 के वी एकल परिपथीय देवगढ़ - करेडा लाइन के 132 के वी द्विपरिपथीय लिलो लाइन के निर्माण हेतुमार्ग-अधिकार अथार्त राइट आफ वे** की **तत्सम्यानुसार, उपयुक्त मंजूरी जारी की गई थी, जिसकी अधिसूचना राजस्थान राजपत्र विशेषांक में 17.11.2022 मै प्रकाशित हुई थी** ।उक्त प्रकाशित अधिसूचना **के संशोधन के क्रम में** ऊपरवर्णित लाइन के मार्गनिर्धारण मै नवीन राजस्व ग्रामों की सुची को जोड़ते हुए मार्ग अधिकार अर्थात राइट ऑफ वे की **संशोधित अधिसूचना,** अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाती है । उक्त एकल परिपथ लाईन अब निम्नलिखित गांवो की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्रम संख्या	गांव के नाम	क्रम संख्या	गांव के नाम	क्रम संख्या	गांव के नाम
1	मोखमपुरा	**11**	सुरास	**21**	छापरिया खेड़ा
2	भीलखेड़ी	**12**	अर्जुनगढ़	**22**	बेमाली
3	पाटिया खेड़ा	**13**	सगरेव	**23**	सबलपुरा
4	थला	**14**	नारायण खेड़ा जाटान	**24**	डेलास
5	पीथलपुरा	**15**	जगपुरा	**25**	रामपुरिया

6	रायपुर	**16**	बेलिया का खेड़ा	**26**	जड़ाना
7	केमुनिया	**17**	करेड़ा	**27**	ठाणीया सोमाणीया
8	सूरजपुरा	**18**	धनकपुरा	**28**	खेड़ीमाता
9	खूंटियां	**19**	देवीपुरा	**29**	रतनपुरा
10	अंबाखेडा	**20**	गुर्जर खेड़ा	**30**	भेरूखेड़ा

लखपत लाल मीणा,
सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि),
रा.रा.वि.प्र.नि.लि, अजमेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।